भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 130

दिनांक 02.02.2021/13 माघ,1942 (शक) को उत्तर के लिए

पत्रकारों की गिरफ्तारी

†130. श्री के. सुधाकरनः

श्री के. मुरलीधरन:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 2014 से अब तक भारतीय दंड संहिता, महामारी अधिनियम, 1897 तथा विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (यूएपीए); 1967 की धराओं के अंतर्गत वर्ष-वार कितने पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया है; और

(ख) उक्त कानूनों के अंतर्गत राज्य-वार कितने पत्रकार जेल में हैं जो कि उनके विरुद्ध लगाए गए किसी भी आरोप में अभी तक दोष सिद्ध नहीं हुए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं तथा राज्य सरकारें अपनी इसी विधि प्रवर्तन एजेंसियों के जरिये अपराधों की रोकथाम करने, उनका पता लगाने और जांच करने तथा अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) पत्रकारों की गिरफ्तारी के संबंध में विशिष्ट आंकड़े नहीं रखता है।

केंद्र सरकार, पत्रकारों सहित देश के सभी निवासियों की सुरक्षा एवं संरक्षा को सर्वाधिक महत्व प्रदान करती है। गृह मंत्रालय ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कानून-व्यवस्था बनाये रखने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर परामर्शी पत्र जारी किए हैं कि जो कोई व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेता है, उसे कानून के अनुसार तत्काल दंडित किया जाए। विशेष रूप से पत्रकारों की सुरक्षा के संबंध में 20 अक्टूबर, 2017 को एक परामर्शी पत्र राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किया गया था, जिसमें उनसे मीडिया के लोगों की सुरक्षा एवं संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून को दृढ़ता से लागू करने का अनुरोध किया गया था।

*****